

अज अवालत सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक फलोदी

कोवलराम बनाम दाणुराम वगैरा

अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

पुश्या राजस्व वाद संख्या 160/2016 वर्तमान राजस्व वाद संख्या 268 सन 2018


पुनम वा कार्यावाही नये इतिशियला जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
दुम की तारीख में  
जारी हुए

उक्तवाय पक्षकारान उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी वादी अधिवक्ता ने निवेदन कर बताया कि ग्राम छीतरबेरा पटवार हल्का भोजासर तहसील फलोदी जिला जोधपुर के खेत खसरा संख्या 874 रकबा 0.2428 हैक्टेयर अर्थात् 1.10 बीघा व खेत खसरा नम्बर 715 रकबा 2.0963 हैक्टेयर अर्थात् 12.19 बीघा भूमि के प्राथमिक डिकी के तहसीलदार फलोदी के पत्र क्रमांक राजस्व/2022/759 दिनांक 02.05.2022 के विभाजन प्रस्ताव में प्रस्तावित रकबा एवं नक्शा के माफिक मीटस एण्ड बाउण्डस में बंटवाड़ा किया जाने पर पक्षकारान को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का भलीभांति अध्ययन किया। वादी का वाद प्रस्तावित विभाजन के माफिक अंतिम डिकी किया जाने योग्य होने से विभाजन का वाद स्वीकार कर अंतिम डिकी किया जाता है।

## आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 8 के बंट में खसरा नम्बर 874 रकबा 0.2428 हैक्टेयर बहिस्सा बराबर अनुसार रखी जाती है, वादी के बंट में खसरा नम्बर 715 का 1067/3751 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 8 का 2684/3751 हिस्सा संयुक्त रकबा 0.3351 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 9 बाधुदेवी के बंट में खसरा नम्बर 715 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 7 हरींगाराम के बंट में खसरा नम्बर 715 रकबा 0.7797 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 व शारदा पत्नी पुनमचन्द के बंट में खसरा नम्बर 715 रकबा 0.7797 हैक्टेयर बहिस्सा बराबर अनुसार रखी जाकर मीटस एण्ड बाउण्डस में विभाजन प्रस्ताव क्रमांक राजस्व/2022/759 दिनांक 02.05.2022 अनुसार बंटवाड़ा किया जाता है। तहसीलदार इसी माफिक राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। अन्तिम डिकी पर्चा अलग से मूर्तिब हो निर्णय आज दिनांक 18/10/22 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
डॉ. अर्चना ब्यास आर.ए.एस.  
सहायक कलेक्टर फलोदी  
(फास्ट ट्रेक) फलोदी

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इत्यादी  
(आदेश 21 नियम 6, 7 जाबा वीवानी)  
आज अदालत सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक फलोदी  
पीवासीन अधिकारी - डॉ. अर्चना व्यास (आर.ए.एस.)  
बनाम

वादी  
दादाशरण पुत्र लालाराम  
पत्नी - विश्नीई  
निवासी - हनुमाननगर, भोजासर  
तहसील - फलोदी  
जिला - जोधपुर राज.


- प्रतिवादीगण
1. दाणुराम पुत्र लालाराम
  2. हरचन्द्रराम पुत्र लालाराम
  3. छत्रुराम पुत्र लालाराम
  4. मनोहरराम पुत्र लालाराम
  5. अर्जुनराम पुत्र लालाराम
  6. झीमा पत्नी लालाराम
  7. हरीगाराम पुत्र फगलुराम
  8. पावुराम पुत्र चौधाराम  
सभी जाति विश्नीई  
निवासी - हनुमाननगर भोजासर  
तहसील फलोदी  
जिला - जोधपुर राज.
  9. बाधुदेवी पत्नी गोपीराम  
जाति - विश्नीई  
निवासी - छीतरबेरा भोजासर  
तहसील फलोदी  
जिला - जोधपुर राज.
  10. श्रीमान तहसीलदार फलोदी

दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

पुराना राजस्व वाद संख्या 160/2016  
वर्तमान राजस्व वाद संख्या 268/2018

दिनांक - 18/10/22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री जोधाराम विश्नीई एडवोकेट  
मिनजानिब मुददई व मिन जानिब मुदायला की ओर से श्री मोहनलाल मेघवाल एडवोकेट पेश  
होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी व  
प्रतिवादी संख्या 8 के बंट में खसरा नम्बर 874 रकबा 0.2428 हैक्टेयर बहिस्सा बराबर अनुसार  
रखी जाती है. वादी के बंट में खसरा नम्बर 715 का 1067/3751 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 8  
का 2684/3751 हिस्सा संयुक्त रकबा 0.3351 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 9 बाधुदेवी कं बंट में  
खसरा नम्बर 715 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 7 हरीगाराम के बंट में खसरा  
715 रकबा 0.7797 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 व शारदा पत्नी पुनमचन्द के बंट में खसरा  
नम्बर 715 रकबा 0.7797 हैक्टेयर बहिस्सा बराबर अनुसार रखी जाकर मीटस एण्डस बाउण्डस में  
विभाजन प्रस्ताव कमाक राजस्व/2022/759 दिनांक 02.05.2022 अनुसार बंटवाड़ा किया जाता  
है। तहसीलदार इसी माफिक राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न  
नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। डिक्री पर्चा जारी किया जाता है।  
बिसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 18/10/22 को जारी की गई।



डॉ. अर्चना व्यास आर.ए.एस.  
सहायक कलेक्टर फलोदी

मुददई	रूपया	पैसे	मुददायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प इकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमि नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरकात		
मिजान			मिजान		

नोट - खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करे ।